सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
#राजस्थान_सतर्क_है

क्रमांकः एफ8(349)सूप्रौ/सामान्य/19/02372/2020 जयपुर, दिनांकः 18.06.2020

आदेश

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, योजना भवन एवं विभाग के अन्य भवनों व परिसरों में संचालित विभिन्न परियोजनाओ के कार्यस्थलों पर कोरोना से बचाव हेतु निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते है :–

1. सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, के विभिन्न कार्यस्थलो हेतु निम्नानुसार बचाव अधिकारी (**Safety Officer**), नियुक्त किये जाते है एवं उन्हे निर्देशित किया जाता है कार्यालय के समस्त अधिकारियों/कार्मिकों से समन्वय स्थापित करके व्यवस्थाओं को उचित ढंग से क्रियान्वित करें।

क्र.स.	कार्यस्थल/भवन	बचाव अधिकारी
1	आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन	श्री वेद प्रकाश यादव, संयुक्त निदेशक
2	भामाशाह डेटा सेंटर एवं टेक्नोहब	श्री ओम प्रकाश जांगिड़, (Rtd. RAS)
3	लाईब्रेरी भवन, सचिवालय परिसर	श्री जी.के.शर्मा, महा प्रबंधक
4	किसान भवन, लालकोठी	
5	शील मोहर प्लॉजा बेसमेंट व द्वितीय तल	श्री युवराज सिंह गुर्जर, ए.सी.पी.
6	उद्योग भवन	श्री रतनलाल, ए.सी.पी.
7	एपेक्स बैंक, टोंक रोड	श्री दिनेश गुर्जर, ए.सी.पी.
8	राजकॉम्प	श्री विरेन्द्र कुमार जैन, प्रबंधक, राजकॉम्प
9	ए.सी. मार्केट, राजापार्क	
10	नेहरू पैलेस	श्री के.एन. शर्मा, प्रबंधक
11	फर्स्ट इंडिया न्यूज प्रथम व द्वितीय तल	श्री रविन्द्र चतुर्वेदी, प्रोग्रामर

2. सतह से संक्रमण (**Surface Transmission**) के खतरे को कम करने के लिये प्रत्येक कार्यस्थल की नियमित सफाई एवं सेनिटाईजेशन की जाये। कार्मिकों को भी लगातार हाथ साफ (**Hand Hygiene**) करने, सम्पर्क में आने वाली वस्तुओं (**Shared Objects and surfaces**) को सेनिटाईज करते रहने के लिये प्रेरित किया जायें।
3. विभाग में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों में किसी भी प्रकार के अस्वस्थता के लक्षण हो तो वह कार्यालय में उपस्थित नहीं होगे।
4. कार्यस्थल का बचाव अधिकारी (**Safety Officer**) यह सुनिश्चित करेगा कि संक्रमण प्रभावित क्षेत्र में रहने वाला कोई भी कार्मिक कार्यस्थल पर उपस्थित ना हो। सभी कार्मिकों के मोबाइल में आरोग्य सेतू एवं राजकोविड इन्फो एप डाउनलोड़ किया जाना भी सुनिश्चित किया जावें।
5. कार्यस्थल पर कार्मिकों की भीड़–भाड़ की स्थिति ना हो इसके लिये यदि आवश्यक हो तो बैठक व्यवस्था में परिवर्तन (**Physical Distancing**) किया जाये/कार्मिकों को रोटेशन से बुलवाया जाये/एक स्थान पर एकत्रित होकर चाय पीने व भोजन करने को रोका जायें। समस्त कार्मिक कार्यस्थल पर मास्क अनिवार्य रूप से उपयोग में लाये।
6. बचाव अधिकारी उसके अधीनस्थ कार्यस्थल के समस्त कार्मिकों की स्वास्थ्य की स्थिति का रिकॉर्ड संधारित करेगा और समीक्षा कर यह सुनिश्चित करेगा कि **Heart Disease, Hypertension, Diabetes and Respiratory problems** से पीड़ित कार्मिक बहुत आवश्यकता

होने पर ही कार्यालय में आये और उन्हे **Work from home** के लिये प्रोत्साहित किया जायें।

7. कार्यालय में **Lift** का प्रयोग कम से कम एवं आवश्यक होने पर किया जायें और **Lift** में एक बार में दो से अधिक कार्मिक प्रवेश नहीं करें और **Lift** के अन्दर भी एक–दूसरे से विमुख होकर दीवार की ओर मुंह कर के खड़े हो।
8. कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिना **Appointment** लिये कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाये और जहां तक सम्भव हो दूरभाष या वीसी का प्रयोग किया जाये और व्यक्तिगत सम्पर्क को टाला जाये।
9. यदि किसी कार्मिक के आरोग्य सेतु एप पर **Moderate/High Risk** का संकेत प्राप्त होता है तो वह कार्मिक कार्यालय में उपस्थित नहीं होगा और स्वयं को 14 दिवस या उक्त अवधि तक जब तक की **Safe** होने का संकेत नहीं आ जाये आईसोलेट रखेगा। ऐसे कार्मिक द्वारा **Self Isolation/Quarantine** अवधि का आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर नियमानुसार अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
10. समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनिवार्य रूप से विभाग द्वारा विकसित RajCovid info & Aarogya setu मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इन्स्टॉल कर उपयोग करना सुनिश्चित करेंगे। ये मोबाइल एप्लीकेशन Play Store पर उपलब्ध हैं।
11. प्रत्येक कार्मिक से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रतिदिन अपने आवास से कार्यालय के लिये प्रस्थान करने से पूर्व एप में प्रदर्शित हो रहें संकेत की जांच करेगा और उक्त संकेत में सुरक्षित प्रदर्शित होने पर ही कार्यालय आयेगा।

(विरेन्द्र सिंह)
आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सू.प्रौ और संचार विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
3. समस्त ग्रुप हैड, सू. प्रौ. और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
4. संबंधित अधिकारियों .... को पालनार्थ।
5. प्रभारी अधिकारी वेबसाईट, सू. प्रौ. और संचार विभाग जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव